अध्याय-8

पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक पहलू

अध्याय 8

पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक पहलू

8.1 पर्यावरण सुरक्षा

मनरेगा योजना के तहत जल-संरक्षण और जल-संचयन जैसे विषयों का भी ध्यान देना है चूंकि इस योजना के अधिदेश के अंतर्गत जल स्तर में वृद्धि करना है। राज्य की कमजोर जलीय अवस्था को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने जल संरक्षण एवं जल संचयन को प्राथमिक कार्य के रूप में चिह्नित (जून 2008) किया। मनरेगा योजना के कार्यक्षेत्र नियमावली[1] के अनुसार, एक पक्का पुनर्भरण संरचना, अनुमानित कुएँ का एक भाग होना चाहिए और कुएँ से कम से कम 5' की दूरी पर निर्मित होना चाहिए। पुनर्भरण संरचना में एक पक्का चैम्बर होना चाहिए और निस्पंदक उद्देश्य हेतु, गोला पत्थर सबसे नीचे तली में, उसके बाद गिट्टी और अंतत: सबसे ऊपर में बालू होना चाहिए।

8.1.1 भूमिगत जलस्तर में गिरावट

जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 2007-12 की अवधि में मनरेगा योजना के अन्तर्गत छ: नमूना-जॉच जिलों में 84,294 जल संरक्षण कार्य तथा 1,40,646 सिंचाई कार्य के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 34,503 (41 प्रतिशत) जल संरक्षण कार्य और 32,867 (23 प्रतिशत) सिंचाई कार्य ₹ 3.19 करोड़[2] के खर्च करने के बाद पूर्ण हुए (मार्च 2012)। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के अलावे घटते हुए जलस्तर को सुधारने हेतु भूजल स्तर का पुनर्भरण करना इस योजना का दीर्घावधी उद्देश्य था। झारखण्ड के जलस्तर पर, एक गैर सरकारी संगठन "जुड़ाव" द्वारा फरवरी 2011 में प्रकाशित एक स्वतन्त्र अध्ययन के अनुसार झारखण्ड के कई जिले जल की गंभीर कमी से जूझ रहे थे और वर्ष 2009 और 2010 में जलस्तर में 17 मीटर से 20 मीटर अर्थात् तीन मीटर की गिरावट देखी गई जिसकी संपुष्टि भू-जल निदेशालय द्वारा भी की गई। जिसका मुख्य कारण निर्माण कार्य में अवैज्ञानिक तरीके का उपयोग करना बताया गया जिसकी पुष्टि खूँटी जिले के 60 गॉवों के अनुसंधान में भी किया गया जहाँ सुखाड़ से बचने के तरीके विफल रहे थे।

राज्य में मनरेगा के अंतर्गत कुएँ के निर्माण से संबंधित नमूना आकलन के छानबीन से पता चला कि प्राक्कलन, पक्का पुनर्भरण ढाँचे के प्रावधान के बिना तैयार किया गया था। इस प्रकार, जल संरक्षण एवं सिंचाई कार्यों पर तात्विक (सारभूत) खर्च के

---

[1] जी.एन शर्मा निस्पन्द विशेषज्ञ, सलाहकार (कार्य),मनरेगा प्रमंडल, ग्रा0वि0मंत्रालय, भारत सरकार के मनरेगा योजना कार्यक्षेत्र नियमावली।

[2] सिंचाई कार्य ₹ 164.92 लाख और जल संरक्षण ₹ 154.38 लाख- ₹ 319.30 लाख।

बावजूद भू-जल स्तर के पुनर्भरण न करने की वजह से योजना का उद्देश्य भू-जल स्तर का पुनर्भरण नहीं हो सका।

निकास बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने कहा (जुलाई 2012) कि योजना के अंतर्गत सामग्री आधारित कार्य से बचने के कारण कुएँ के साथ पुनर्भरण ढाँचा का निर्माण नहीं हो सका। वास्तविकता यह है कि पुनर्भरण संरचना का निर्माण कुएँ के साथ मनरेगा योजना कार्यक्षेत्र नियमावली की *कंडिका संख्या 4(iv)1* के अनुसार आवश्यक था।

8.1.2 अवैध खनन से सामग्री की अनियमित प्राप्ति

परिचालन मार्गदर्शिका, 2008 के कंडिका 1.2 (बी) के अनुसार, मनरेगा का एक मात्र उद्देश्य दीर्घकालिक गरीबी के कारणों जैसे सूखा, वनक्षारण एवं भूक्षरण कार्यों को रोकने के लिए रोजगार देकर ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के सतत् विकास हेतु एक विकास यंत्र के रूप में काम करना था।

सामग्रियों की आपूर्ति अनिबंधित आपूर्तिकर्ताओं से हुई थी जिन्होंने अवैध रूप से उत्खनन कर सामग्रियों की आपूर्ति की

राँची एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों के 47 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की छानबीन के दौरान देखा गया कि मनरेगा योजना निधि से ₹ 11.93 करोड़ की राशि 2007-12 की अवधि में बोल्डर, मेटल, चिप्स, मोरम इत्यादि सामग्रियों जैसे की अनिबंधित आपूर्तिकर्ता से खरीद पर खर्च हुए जिसने उपर्युक्त सामग्रियों की अवैध निकासी कर आपूर्ति की जिसका सत्यापन, प्रपत्र ओ और पी[3], यातायात चालान, इत्यादि जमा नहीं कराने से हुआ। खनिजों के अनाधिकृत निकासी के कारण वातावरण की भी क्षति हुई।

जिला कार्यक्रम समन्वयक राँची ने वास्तविकता को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2012) कि सामग्रियों के खरीद के लिए दैनिक समाचार-पत्रों में संविदा प्रकाशित की गई थी लेकिन कोई भी संवेदक उपस्थित नहीं हुए। तथापि लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य के मार्गदर्शन हेतु अंकित किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयक पश्चिमी सिंहभूम ने कहा (अगस्त 2012) कि चूंकि खनन विभाग को रॉयलिटी की राशि की दर की दुगनी राशि भुगतान की गई इसलिए खरीद को अनियमित नहीं माना जा सकता है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झारखंड लघु अनुदान नियम 2004 के धारा 54 (i एवं viii) के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनाधिकृत खदानों से खनिजों की ढुलाई करता है एक अवैध खनिक के रूप में माना जायेगा और खनिजों के लागत तक दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 सामाजिक पहलू

मनरेगा योजना का एक उद्देश्य कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों (अ.ज.) और अनुसूचित जन जातियों(अ.ज.ज.) के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

---

[3] लघु खनिज अनुदान नियमावली 2004 झारखण्ड, के अनुसार कोई व्यक्ति जो खनिज की ढुलाई अधिकृत खदान से कर रहा हो उसे खनन विभाग द्वारा विहित प्रपत्र "ओ" में एक शपथ पत्र एवं प्रपत्र "पी" में आपूर्ति का विवरण कार्यान्वयन अधिकारी/अभिकरण को खनन विभाग द्वारा सत्यापन हेतु देना होगा।

परिचालन मार्गदर्शिका,2008 की कंडिका 5.5.9 भी महिलाओं को रोजगार के प्रावधान में प्राथमिकता को अनुबन्धित करता है ताकि कुल लाभुकों में एक-तिहाई महिलाएँ हों जो योजना के अंतर्गत कार्य के लिए पंजीकृत हो।

8.2.1 सामाजिक समानता प्रोत्साहित करने के लिए अनु.जाति, अनु.ज.जा. और महिलाओं का प्रतिनिधित्व

राज्य में मनरेगा योजना के कार्यान्वन में अनु.जा., अनु.ज.जा. और महिलाओं का प्रतिनिधित्व, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर **तालिका 14** में दर्शाया गया है:

तालिका 14: 2007-12 के दौरान सृजन किए गए कुल मानव दिवसों में अनु.जा.,अनु.ज.जा.और महिलाओं का प्रतिनिधित्व

(संख्या लाख में)

वर्ष	कुल सृजित मानव दिवस	अनु.जा. मानव दिवस प्रतिशतता के साथ	अनु.ज.जा. मानव दिवस प्रतिशतता के साथ	महिलाओं मानव दिवस प्रतिशतता के साथ
2007-08	754.46	155.34(21)	316.99(42)	204.62(27)
2008-09	755.25	137.35(18)	300.31(40)	214.99(28)
2009-10	842.47	135.15(16)	362.12(43)	288.53(34)
2010-11	830.77	111.70(13)	349.57(42)	278.05(33)
2011-12	470.90	59.52(13)	182.36(39)	145.80(31)

(स्रोत: ग्रा.वि.वि.)

यह स्पष्ट था कि 2007-08 से 2011-12 के दौरान अनु.जातियॉ और अनु.ज.जातियॉ जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत थी, सृजित रोजगार के कुल मानव दिवसों में जातियों का प्रतिनिधित्व 13 से 21 प्रतिशत और 39 से 43 प्रतिशत था जो उत्साहवर्धक था। तथापि 2010-11 से रोजगार प्राप्त करने में अनु.जा.,अनु.ज.जा.और महिलाओं की प्रतिशतता में ह्रास दर्ज की गई और 2011-12 में महिलाएँ जिन्होंने रोजगार पाया, कुल लाभुकों के एक तिहाई से कम थीं।

8.2.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सलाह दिया (सितम्बर 2008) कि झारखण्ड सरकार यह सुनिश्चित करे कि मनरेगा योजना की कार्यशक्ति "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत आच्छादित हो मानों शारीरिक स्वास्थ्य उनकी मूल पूँजी है और शारीरिक मजदूर आजीविका के लिए उनके हथियार हों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करना और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वालों के एक चिन्हित नेटवर्क द्वारा, रोगों के उपचार के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधा, अस्पतालों में भर्ती करने तथा शल्य चिकित्सा को शामिल करते हुए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के नकद रहित प्रवेश में सुधार करना था।

हम लोगों ने देखा कि सचिव, ग्रा.वि.वि.,झारखण्ड सरकार ने, जिला कार्यक्रम समन्वयकों को यह निर्देशित किया (अक्टूबर 2008) कि मनरेगा के उन मजदूरों की

सूची, श्रम एवं रोजगार विभाग को प्रदान करेगी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में कम से कम 14 दिनों के लिए काम किया ताकि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना में मजदूरों की अपर्याप्त उपलब्धता थी

श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार चार[4] नमूना परीक्षित जिलों में मार्च 2012 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1.90 लाख मनरेगा योजना परिवारों में से नामित परिवारों की संख्या 41,343 थी। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवारों के केवल 22 प्रतिशत ही शामिल थे। हमने आगे पाया कि बाकी बचे दो जिलों (गुमला और पलामू) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कोई भी परिवार नहीं जुड़े जबकि इन जिलों के 0.90 लाख[5] परिवार मनरेगा योजना में सम्मिलित थे।

प्रतिउत्तर में, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त, झारखंड ने कहा (जून 2012) कि उनके कार्यालय द्वारा सभी जिलों को बहुत बार ऐसे नरेगा मजदूरों की सूची प्रदान करने के लिए निर्देशें दी गई हैं। ऐसी सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए जिलों को दुबारा सूचित किया गया था, जिसे संकलन के बाद लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रतिउत्तर स्वयं सूचित करता है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले पंजीकृत परिवारों की संख्या के बारे में अनभिज्ञ थे। इस प्रकार, पर्याप्त व्याप्ति न होने के कारण मनरेगा योजना में आने वाले मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

8.3 निष्कर्ष

निर्माण कार्यों में अवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग तथा कुएँ का निर्माण बिना पुनर्भरण ढाँचे के कारण, राज्य में भू-जलस्तर में गिरावट हुई। आगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले मनरेगा योजना के परिवारों का स्वास्थ्य बीमा योजना अपर्याप्त था।

8.4 अनुशंसाएँ

- प्राक्कलन एवं निर्माण कार्यों को तैयार करने के लिये मनरेगा योजना कार्यक्षेत्र नियमावली का अनुसरण किया जा सकता है; और
- मनरेगा योजना के परिवारों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

---

[4] दुमका (नामांकन 25971: परिवार 61590), पाकुड़ (नामांकन 1242: परिवार 41329), रॉची (नामांकन 13953: परिवार 30622) और पश्चिमी सिंहभूम (नामांकन 177: परिवार 56136)

[5] गुमला (नामांकन शून्य: परिवार 41946) और पलामू (नामांकन शून्य: परिवार 48432)